

बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग

प्र० 10/सी०आर०एफ०-08-18/2017 2546 (S), पटना, दिनांक : 29.03.2018 का प्रतिस्थानी आदेश

प्र० 10/सी०आर०एफ०-08-18/2017 -

5073 (S)

पटना, दिनांक : 28/5/19

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,

पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय:- गया जिलान्तर्गत पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अंतर्गत टेकारी-केसपा-सादिकपुर पथ के कि०मी० 0.0 से कि०मी० 13.50 तक (कुल लंबाई 13.50 कि०मी०) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य कुल ₹2208.72 लाख (बाईस करोड़ आठ लाख बहत्तर हजार) के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- गया जिलान्तर्गत पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अंतर्गत टेकारी-केसपा-सादिकपुर पथ के कि०मी० 0.0 से कि०मी० 13.50 तक (कुल लंबाई 13.50 कि०मी०) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य कुल ₹2208.72 लाख (बाईस करोड़ आठ लाख बहत्तर हजार) की अनुमानित लागत पर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- विषयगत कार्य की निविदा, प्रावैधिक स्वीकृति होने के पश्चात् संपादित किया जायेगा।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अंतर्गत राशि बजट व्यय “ 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय - 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-0102 वृहद् सड़कें मत्तदेय” विपत्र कोड 41-5054033370102 एवं बजट व्यय शीर्ष “5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101 वृहद् सड़कें मत्तदेय “ विपत्र कोड 41-5054037890101 तथा केन्द्रीय सड़क निधि से देय राशि बजट व्यय “41-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-0206 केन्द्रीय सड़क निधि-मत्तदेय” अंतर्गत विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड-41-5054033370206 होगा।
- विषयगत कार्य का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, शेरघाटी द्वारा कराया जायगा, जो इस निमित्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा वे राशि की निकासी कोषागार, शेरघाटी से करेंगे।

5. विषयगत कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया जाता है :-

वित्तीय वर्ष	बजट व्यय शीर्ष			वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	भौतिक लक्ष्य
	विपत्र कोड 41-5054033370102	विपत्र कोड 41-5054037890101	विपत्र कोड 41-5054033370206		
2018-19	200.00	729.20902	0.00	929.20902	लगभग 42 % कार्य पूर्ण
2019-20	0.00	0.00	1279.51098	1279.51098	निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करना ।
कुल -	200.00	729.20902	1279.51098	2208.72	

6. मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना एवं मुख्य अभियंता (यातायात), पथ निर्माण विभाग, दक्षिण बिहार उपभाग, पटना विषयगत कार्य की प्रगति की नियमित रूप से प्रतिमाह समीक्षा करेंगे।
7. इसकी सूचना मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता (यातायात), दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मगध पथ अंचल, गया / कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, शेरघाटी को दे दी गई है।
8. मूल प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है।
9. वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में मूल प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है।
10. इस पथांश के निर्माण के उपरान्त DLP अवधि समाप्त होने के पश्चात् पथ का संधारण संबंधित पथ प्रमंडल में तत्समय लागू OPRMC के अंतर्गत किया जायेगा।
11. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 3758/वि0, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में मूल प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री की स्वीकृति संचिका के पृ 21/टि0 पर दिनांक-20.03.2018 एवं पृ 25/टि0 पर दिनांक-27.03.2018 को प्राप्त है।

12. मूल प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ 27/टि 0 पर दिनांक-28.03.2018 को प्राप्त है।
13. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ 32.../टि 0 पर दिनांक-28.03.2018 को प्राप्त है।


 (डॉ० आलोक कुमार)
 संयुक्त सचिव (प्र०को०),
 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्र० 10/सी०आर०एफ०-08-18/2017 2546 (S), पटना, दिनांक : 29.03.2018 का प्रतिस्थानी आदेश

ज्ञाप सं० :- प्र० 10/सी०आर०एफ०-08-18/2017 - 5073 (S) पटना, दिनांक : 28/5/19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, शेरघाटी/ गया को सूचनार्थ अग्रसारित।


 (डॉ० आलोक कुमार)
 संयुक्त सचिव (प्र०को०),
 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्र० 10/सी०आर०एफ०-08-18/2017 2546 (S), पटना, दिनांक : 29.03.2018 का प्रतिस्थानी आदेश

ज्ञाप सं० :- प्र० 10/सी०आर०एफ०-08-18/2017 - 5073 (S) पटना, दिनांक : 28/5/19

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (आय-व्ययक शाखा), पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/ जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ अग्रसारित।


 (डॉ० आलोक कुमार)
 संयुक्त सचिव (प्र०को०),
 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्र० 10/सी०आर०एफ०-08-18/2017 2546 (S), पटना, दिनांक : 29.03.2018 का प्रतिस्थानी आदेश

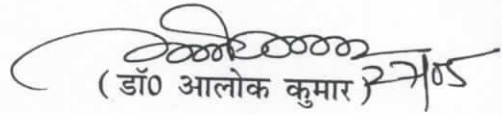
ज्ञाप सं० :- प्र० 10/सी०आर०एफ०-08-18/2017 - 5073 (S) पटना, दिनांक : 28/5/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (यातायात), दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता, (बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पटना / अधीक्षण अभियंता, उच्च पथ योजना एवं अन्वेषण अंचल, पटना / अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मगध पथ अंचल, गया/ कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, शेरघाटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. विषयगत कार्य को कार्य की विस्तृत प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही सम्पादित किया जाय।

3. मुख्य अभियंता (यातायात), दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, प०नि०वि०, पटना विषयगत कार्य के विस्तृत प्राक्कलन की प्रावैधिक स्वीकृति अविलम्ब प्रदान करेंगे।

4. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी इस कार्य की मासिक एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (यातायात), दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।


(डॉ० आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),

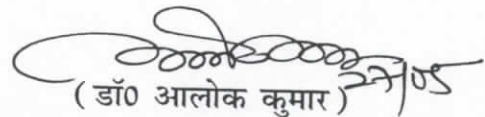
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्र० 10/सी०आर०एफ०-08-18/2017 2546 (S), पटना, दिनांक : 29.03.2018 का प्रतिस्थानी आदेश

ज्ञाप सं० :- प्र० 10/सी०आर०एफ०-08-18/2017 - 5073(S) पटना, दिनांक : 28/5/19

प्रतिलिपि :- मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ सचिव (प्रावैधिक) अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ मुख्य अभियंता,(बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग, पटना / विशेष पदाधिकारी (यातायात) के तकनीकी सलाहकार, पथ निर्माण विभाग / योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ / अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त- सह- विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ/ कार्यपालक अभियंता, योजना सूत्रण, पथ निर्माण विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, आय-व्ययक प्रशाखा-9 / प्रशाखा-10 / प्रशाखा-11, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

2. मुख्य अभियंता (यातायात), दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन की नियमित रूप से प्रत्येक माह समीक्षा कर, अपने सुस्पष्ट मंतव्यों से अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराते रहेंगे।


(डॉ० आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



6